छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन–''बिहान''
दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)
परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की 30वीं बैठक दिनांक 14.10.2024 का कार्यवाही विवरण

–: कार्यवाही विवरण :–

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (PAC) की 30वीं बैठक दिनांक 14.10.2024 को श्रीमती निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों की सूचि परिशिष्ट–अ में संलग्न है।

एजेण्डावार कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

एजेंण्डा क्रमांक 01ः परियोजना अनुमोदन समिति की 29वीं बैठक दिनांक 29.08.2024 का पालन प्रतिवेदन - पालन प्रतिवेदन से समिति के सदस्यों को बिन्दुवार अवगत कराया गया। सभी सदस्य सहमत हुये।

<u>एजेण्डा क्रं.</u> **02. योजनांतर्गत स्वीकृत लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण (प्रशिक्षित एवं नियोजित) कर चुके PIAs को Additional Target आबंटित किए जाने के संबंध में निर्णयः**– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्र. 15/2023 दिनांक 11.12.2023 के प्रावधानों से अवगत कराया गया Additional Target के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्र. 18/2024 दिनांक 11.10.2024 में दिये गये प्रावधानो के संबंध चर्चा की गई एवं समिति सदस्यों को अवगत कराया गया।

Additional Target बाबत् PIA वार चर्चा/निर्णय निम्नानुसार है :–

2.1 परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा **PIA Smartskills Bits And Bytes Private Ltd.** को परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Notification 15/2023 एवं 18/2024 दिनांक 11.10.2024 के अनुसार Additional Target हेतु पात्र पाए जाने तथा PIA की वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्र की क्षमता 224 के आधार पर स्वीकृत ट्रेड को परियोजना अवधि में पूर्ण किये जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, PIA द्वारा कौशल भारत पोर्टल में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत लक्ष्य एवं जिला में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 30.06.2024 की स्थिति में सत्यापित नियोजन 70% या अधिक होने पर निम्नानुसार Additional Target स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

स्वीकृत अतिरिक्त लक्ष्य	मोबिलाईजेशन जिला	ट्रेड	प्रशिक्षण केन्द्र स्थल
224	बलौदाबाजार, बेमेतरा, धमतरी, जशपुर, कवर्धा, सरगुजा (प्रति जिला न्यूनतम 35 हितग्राही)	Custmor care executive (ELE/Q4603)	रायपुर

2.2 परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा **PIA Shree Krishna Industrial Recruitment Pvt. Ltd.** को परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Notification 15/2023 एवं 18/2024 दिनांक 11.10.2024 के अनुसार Additional Target हेतु पात्र पाए जाने तथा PIA की वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्र की क्षमता 210 के आधार पर स्वीकृत ट्रेड को परियोजना अवधि में पूर्ण किये जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, PIA द्वारा कौशल भारत पोर्टल में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत लक्ष्य एवं जिला में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 30.06.2024 की स्थिति में सत्यापित नियोजन 70% या अधिक होने पर निम्नानुसार Additional Target स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

स्वीकृत अतिरिक्त लक्ष्य	मोबिलाईजेशन जिला	ट्रेड	प्रशिक्षण केन्द्र स्थल
210	बेमेतरा, सरगुजा, कवर्धा (प्रति जिला 70 हितग्राही)	Retail Sales Associate(RAS/Q0104)-280-II- [V-3]	दुर्ग

2.3 परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा **PIA Vishal Rerollers Pvt. Ltd.** को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Notification 15/2023 के अनुसार Additional Target हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लेखित ट्रेड (Two Wheeler Service Technician (ASC/Q1411)) अंतर्गत CTSA Feedback अनुसार राज्य में नियोजन केवल 9% है। PIA द्वारा प्रस्तुत 3 LoIs में प्रति संस्था 100 उम्मीदवारों को नियोजित किए जाने का उल्लेख है, जो की तर्कसंगत प्रतीत नही होता।

PIA द्वारा उक्त ट्रेड में पूर्व में प्रशिक्षण प्रदाय नही किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर PIA Vishal Rerollers Pvt. Ltd. को प्रस्तावित ट्रेड – Two Wheeler Service Technician (ASC/Q1411) अंतर्गत Additional Target स्वीकृत नही किए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेंण्डा क्रमांक 03: PIA को स्वीकृत परियोजना की अवधि में वृद्धि एवं ट्रेड में परिवर्तन के संबंध में निर्णयः–

3.1 पी.आई.ए. **Rastogi Education Soceity (P3)** द्वारा नियोजन पूर्ण किये जाने हेतु परियोजना अवधि में दिनांक 31.03.2025 तक की वृद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है।

- पी.आई.ए. को स्वीकृत परियोजना अवधि की समाप्ति तिथि 30.04.2024 है।
- परियोजना अवधि की समाप्ति की तिथि तक पी.आई.ए. का 3 month continuity (Placed) संख्या 1353 है।

प्रकरण पर चर्चा उपरांत समिति द्वारा पी.आई.ए. को परियोजना अवधि अंतर्गत किए गए नियोजन 3 month continuity (Placed) का B1 Tracking 10 दिवस के भीतर कराए जावें। परियोजना अवधि अंतर्गत कुल प्रशिक्षित का न्यूनतम 50% B1 कौशल भारत पोर्टल में पूर्ण किए जाने की शर्त पर परियोजना अवधि में 31.12.2024 तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया।

3.2 पी.आई.ए. **Cradle Life Sciences Pvt. Ltd. (P3)** द्वारा प्रशिक्षित हितग्राहियों के नियोजन पूर्ण करने एवं परियोजना समाप्ति हेतु परियोजना अवधि में दिनांक 30.11.2024 तक की वृद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है।

- पी.आई.ए. को स्वीकृत परियोजना अवधि की समाप्ति तिथि 31.03.2024 है।
- परियोजना अवधि की समाप्ति की तिथि तक पी.आई.ए. का 3 month continuity (Placed) संख्या 121 है।

प्रकरण पर चर्चा उपरांत समिति द्वारा पी.आई.ए. को परियोजना अवधि अंतर्गत किए गए नियोजन 3 month continuity (Placed) का B1 Tracking 10 दिवस के भीतर कराए जावें। परियोजना अवधि अंतर्गत कुल प्रशिक्षित का न्यूनतम 50% B1 कौशल भारत पोर्टल में पूर्ण किए जाने की शर्त पर परियोजना अवधि में 30.11.2024 तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया।

3.3 पी.आई.ए. **Leelas Foundation For Education and Health** द्वारा प्रशिक्षित हितग्राहियों के नियोजन पूर्ण करने हेतु परियोजना अवधि में दिनांक 30.09.2024 तक की वृद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है।

- पी.आई.ए. को स्वीकृत परियोजना अवधि की समाप्ति तिथि 31.03.2024 है।
- परियोजना अवधि की समाप्ति की तिथि तक पी.आई.ए. का 3 month continuity (Placed) संख्या 176 है।

प्रकरण पर चर्चा उपरांत समिति द्वारा पी.आई.ए. को परियोजना अवधि अंतर्गत किए गए नियोजन 3 month continuity (Placed) का B1 Tracking 10 दिवस के भीतर कराए जावें। परियोजना अवधि अंतर्गत कुल प्रशिक्षित का न्यूनतम 50% B1 कौशल भारत पोर्टल में पूर्ण किए जाने की शर्त पर परियोजना अवधि में 30.09.2024 तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया।

3.4 पी.आई.ए. **Walsons Services Ltd.** द्वारा प्रशिक्षित हितग्राहियों के नियोजन पूर्ण करने हेतु परियोजना अवधि में दिनांक 31.01.2025 तक की वृद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है।

- पी.आई.ए. को स्वीकृत परियोजना अवधि की समाप्ति तिथि 31.07.2024 है।
- परियोजना अवधि की समाप्ति की तिथि तक पी.आई.ए. का 3 month continuity (Placed) संख्या 177 है।

प्रकरण पर चर्चा उपरांत समिति द्वारा पी.आई.ए. को परियोजना अवधि अंतर्गत किए गए नियोजन 3 month continuity (Placed) का B1 Tracking 10 दिवस के भीतर कराए जावें। परियोजना अवधि अंतर्गत कुल प्रशिक्षित का न्यूनतम 50% B1 कौशल भारत पोर्टल में पूर्ण किए जाने की शर्त पर परियोजना अवधि में 31.12.2024 तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया।

3.6 पी.आई.ए. **Shri Gangajali Education Society (P2)** द्वारा प्रशिक्षित हितग्राहियों के नियोजन पूर्ण करने हेतु परियोजना अवधि में दिनांक 30.06.2024 वृद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है।

- पी.आई.ए. को स्वीकृत परियोजना अवधि की समाप्ति तिथि 31.03.2024 है।
- परियोजना अवधि की समाप्ति की तिथि तक पी.आई.ए. का 3 month continuity (Placed) संख्या 128 है।

प्रकरण पर चर्चा उपरांत समिति द्वारा पी.आई.ए. को परियोजना अवधि अंतर्गत किए गए नियोजन 3 month continuity (Placed) का B1 Tracking 10 दिवस के भीतर कराए जावें। परियोजना अवधि अंतर्गत कुल प्रशिक्षित का न्यूनतम 50% B1 कौशल भारत पोर्टल में पूर्ण किए जाने की शर्त पर परियोजना अवधि में 30.06.2024 तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया।

3.7 परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा पी.आई.ए. **Vinod Kumar Jain Agro Exim Pvt. Ltd.** की परियोजना में परियोजना लागत में वृद्धि नही होने के शर्त पर PIA की स्वीकृत ट्रेड में निम्नानुसार परिवर्तन किए जाने का निर्णय लिया गयाः–

Proposed and approved Trade Wise Target-

1. Self Employed Tailor & Sewing Machine Operator (AMH/Q1947) V3.0 & (AMH/Q0301) V3.0 - **173**
2. Apparel, Self Employed Tailor -AMH/Q 1947& AMH/Q030 **-0**
3. Retail RAS/Q0104 – 2.0= **390**
4. Retail RAS/Q0104 – 3.0 = **60**
5. Office assistant MEP/Q0202- **200**

Total Target- 823

एजेण्डा क्रं. 4–परियोजनाओं के निरस्तीकरण (Closure, Termination, Blacklisting & RRC)के संबंध में निर्णय–

4.1 PIA IHT Network Ltd. की परियोजना के संबंध में परियोजना अनुमोदन समिति के समक्ष निम्नानुसार तथ्य प्रस्तुत किए गएः–

1. पी.आई.ए. IHT Network Ltd., को कुल परियोजना लागत रू. 3,31,69,466/- में से प्रथम किश्त की कुल राशि रू. 82,92,367/–(25%) जारी की जा चुकी है।
2. PIA द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नही करने के कारण राशि रू. 20,000/- की Minor Penalty अधिरोपित की गई जिसे PIA द्वारा जमा नही की गई।
3. लंबे अवधि से प्रशिक्षण संचालित नही करने एवं परियोजना की प्रगति SOP अनुरूप नही होने के कारण PIA की Personal Hearing की गई जिसमें PIA के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट उत्तर नही दिया गया।
4. PIA की परियोजना प्रगति संतोषजनक नही होने के कारण PIA द्वारा जमा बैंक गॉरण्टी की राशि रू. 20,75,001/- को आहरित कर ली गई है।
5. चूंकि PIA की परियोजना अवधि दिनांक 02.11.2022 को समाप्त हो गई है अतः PIAको परियोजना समाप्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा करने अथवा परियोजना संचालन हेतु

जारी प्रथम किश्त की राशि को वापस जमा करने हेतु पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र में निर्देश (राशि जमा नही करने पर) का पालन नही करने की स्थिति में Blacklisting/RRC/ ROC एवं वैधानिक कार्यवाही किए जाने का लेख किया गया था किन्तु PIA द्वारा समयावधि में निर्देशों का पालन नही किया गया है।

6. PIA द्वारा ई–मेल के माध्यम से Closure हेतु आवश्यक Checklist प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

निर्णयः– PIA IHT Network Ltd. द्वारा स्वीकृत परियोजना को गंभीरता से नही लिया गया। अतः योजना संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही पूर्ण करते हुए पी.आई.ए. को स्वीकृत परियोजना को Termination एवं Blacklist (Major Penalty) करने का निर्णय लिया गया। पी.आई..ए. के निवेदन अनुसार क्लोजर चेकलिस्ट कार्यालय से PIA को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराकर 7 दिवस के भीतर क्लोजर दस्तावेज कार्यालय में जमा किये जाने हेतु सूचित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>एजेण्डा क्रं.</u> 05 Assessment Waive-off के संबंध में–

निर्णयः– PIA Sam Skills Development and IT Solutions Pvt. Ltd. (P1&P2) को स्वीकृत दोनो परियोजनाओं अंतर्गत कौशल भारत पोर्टल में परियोजना अवधि में किए गए नियोजन का B1 Run/Verification 10 दिवस के भीतर पूर्ण कराकर Assessment एवं Certification संबंधी प्रकरण का पुनः परीक्षण कर आगामी PAC में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा क्रं.</u> 06 ब्याज की गणना की अवधि के संबंध में–

निर्णयः– पी.आई.ए. Centum Work skills India Ltd. के ब्याज की गणना अवधि के निर्धारण के संबंध में तात्कालिन मिशन संचालक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की गई थी अतः वर्तमान मिशन संचालक द्वारा PIA की पुनः व्यक्तिगत सुनवाई की जावे साथ ही PIA का Financial Audit पूर्ण कराकर आगामी PAC में प्रकरण प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा क्रं.</u> 07 अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अन्य मुद्दों पर चर्चा एवं निर्णय–

(अ) – PIA SBA Education Society की परियोजना क्लोजर के संबंध में –

PIA SBA Education Society की परियोजना अवधि (वृद्धि के उपरांत) दिनांक 30.10.2022 को समाप्त हुई। परियोजना अनुमोदन समिति की 27वीं बैठक दिनांक 19.10.2023 में पी.आई.ए. द्वारा प्रस्तुत परियोजना अवधि में वृद्धि के निवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। निर्णय निम्नानुसार हैः–

"उपरोक्त के आधार पर पी.आई.ए. के शेष 63 के लक्ष्य को Rightsize किया जाना तथा पी.आई.ए. की परियोजना अवधि में वृद्धि नहीं किया जाना तथा यथास्थिति पी.आई.ए. को क्लोजर करने हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया।"

उक्त संबंध में परियोजना क्लोजर हेतु परियोजना अवधि की अंतिम तिथि दिनांक 30.10.2022 अथवा पी.ए.सी की तिथि 19.10.2023 इन दोनो में से किस तिथि को मान्य किया जाए इस संबंध में प्रकरण निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः– PIA SBA Education Society को परियोजना अनुमोदन समिति की 27वीं बैठक दिनांक 19.10.2023 में परियोजना अवधि में वृद्धि प्रदान नही की गई थी। अतः समिति द्वारा PIA SBA Education Society की परियोजना क्लोजर हेतु परियोजना अवधि की अंतिम तिथि दिनांक 30.10.2022 को ही मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) – बैंक स्टेटमेंट का Random Basis पर सत्यापन के संबंध में–

समिति सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा Placement Verification के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया (पत्र क्र. 2539/MP-DAYSRLM/ SKILL/36/2024 Bhopal date: 08.04.2024) के विषय में चर्चा की गई। इसी अनुरूप परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा छत्तीसगढ़ में भी डीडीयू–जीकेवाय अंतर्गत Placement Verificaiton की प्रक्रिया में Random basis पर कौशल भारत पोर्टल में अद्यतन बैंक स्टेटमेंट का सत्यापन बैंक से कराए जाने हेतु तत्काल निर्देश जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।

(स) – योजना अंतर्गत मोबिलाईजेशन के संबंध में –

लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मोबिलाईजेशन कैम्प आयोजित किए जाने बाबत् आवश्यक सहायता हेतु जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।

अंत में उपरोक्तानुसार कार्यवाही/निर्णय लेते हुये धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपरान्हः 01:30 बजे बैठक समाप्त की गई।

(अध्यक्ष, PAC द्वारा अनुमोदित)

जयश्री जैन (IAS)
मिशन संचालक, (सदस्य–सचिव, पी.ए.सी.)
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
विकास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

परियोजना अनुमोदन समिति की 30वीं बैठक दिनांक 14.10.2024 में

उपस्थित सदस्य

परिशिष्ट–अ

क्र.	नाम	पदनाम
1	श्रीमति निहारिका बारिक सिंह	अध्यक्ष / प्रमुख सचिव, पं.ग्रा.वि.वि, छत्तीसगढ़ शासन
2	श्रीमति जयश्री जैन (IAS)	सदस्य सचिव / मिशन संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
3	श्री पी.एस. अल्मा	विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
4	श्री आई.पी. रात्रे	अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
5	श्री संजय बिलथरे (सी.ए.)	सदस्य, उद्योग एवं व्यापार से संबंधित संगठन
6	श्री गोपाल सामंतो	सदस्य, विषय विशेषज्ञ